सीता राम और अन्य

बनाम

मोती लाल नेहरू किसान प्रशिक्षण केंद्र

(2008 की सिविल अपील सं. 1769)

5 मार्च, 2008

[एसबी सिन्हा और वीएस सिरपुरकर, जे. जे.]

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-धारा 6 एन- दिहाड़ी मजदूरों की परियोजना कार्य हेतु नियुक्ति- सेवा समाप्ति- औद्योगिक विवाद- लम्बे समय तक सेवा का दावा करने वाले कर्मचारी-श्रम न्यायालय ने दावा साबित करने के लिए नियोक्ता से संबंधित दस्तावेजों की मांग की-अप्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत हुए-कर्मचारियों ने उनके दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये-श्रम न्यायालय ने सेवा समाप्ति को अवैध माना और बहाली के निर्देश दिये-उच्च न्यायालय ने अपील में अवार्ड अपास्त किया-अपील में निर्णित- सेवा समाप्ति काे सही मानना अवैध करार दिया गया-चूंकि जिस परियोजना के लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था, को रोक दिया गया है बहाली का आदेश सही नहीं है-मुआवजे की पर्याप्त राशि का भुगतान न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।

प्रत्यर्थी-संस्थान एक शोध संस्थान था। इसका उद्देश्य धर्मार्थ था। हालांकि संस्थान ने विभिन्न परियोजनाओ के माध्यम से मूर्गी पालन, खेती, मछली पालन, मधु-मक्खी पालन आदि किया। इन परियोजनाओ के लिए आवश्यकता के आधार पर दैनिक मजदूरों की नियुक्ति की गयी थी। जब अपीलार्थीगण की सेवाएं दिसम्बर 1996 से

लेना बंद कर दिया गया, उन्होंने यह दावा करते हुए एक आैद्योगिक विवाद उठाया कि वे लम्बे समय से कार्य कर रहे हैं। श्रम न्यायालय ने प्रत्यर्थी नियोक्ता से अपीलार्थीगण के लम्बे समय तक कार्यरत रहने बाबत कुछ दस्तावेजों की मांग की। प्रत्यर्थी ने मात्र दिसम्बर 1996 का उपस्थिति रजिस्टर तथा वर्ष 1997 का उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया। अपीलार्थीगण ने भविष्य निधि में कटौती दिखाने वाले विभिन्न दस्तावेज 1992-93 तथा 1994-95, से संबंधित प्रस्तुत किये। श्रम न्यायालय ने नियोक्ता के विरूद्ध प्रतिकूल उपधारणा करते हुए निर्णित किया कि अपीलार्थीगण ने 240 दिवस से अधिक की समयावधि के लिए कार्य किया, उत्तर प्रदेश आैद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 6 एन में उल्लेखित प्रावधानों में दी गयी पूर्ववर्ती शर्त की पालना न किये जाने के कारण कानून की दृष्टि से उनकी सेवा समाप्ति गलत है। न्यायालय ने उनकी बहाली के आदेश दिये। रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने अवार्ड को यह कहते हुए अपास्त किया कि नियोक्ता पर सबूत का भार गलत रूप से डाला गया तथा अवार्ड अनुमानों तथा अटकलों पर आधारित है। इसलिए अपील प्रस्तुत की गयी है।

न्यायालय-अपील आंशिक रूप से स्वीकृत।

निर्णित-:1.1 यह साबित करने का भार कर्मकार पर है कि उसने एक वर्ष में 240 दिवस कार्य किया। यद्यपि जहां दोनों पक्षों ने ज्यादातर प्रकरणों में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की है तो यह प्रश्न अकादमिक हो जाता है।

डीजीएम आयल एण्ड नेचुरल गेस कोर्पोरेशन लिमिटेड व अन्य बनाम ईलियास अब्दुल रहमान 2005 2 एससीसी 183; रैंज फोरेस्ट आफिसर बनाम एस.टी. हादीमनी 2002 (3) एससीसी 25 आर. एम. येल्लाटी बनाम असिस्टेंट एक्जीक्यूटिक इंजीनियर 2006(1) एससीसी 106 ; स्टेट आफ महाराष्ट्र बनाम दत्तात्रेय दिगम्बर बिराजदार 2007

(10) स्केल 442; गंगा किशन सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड बनाम जयवीरसिंह 2007 (11) स्केल 409- संदर्भित।

1.2 अपीलकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए कुछ दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड प्रस्तुत किये हैं कि वे कम से कम दो वर्षों से काम कर रहे हैं। यहां तक कि उनके वेतन से भविष्य निधि भी काट ली गई। प्रत्येक अपीलकर्ता ने श्रम न्यायालय के समक्ष स्वयं को परीक्षित करवाया है । उन्होंने जरूरी दस्तावेज मंगाए थे। श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ पूरी तरह से अप्रासंगिक थे, क्योंकि श्रमिक की सेवाएँ दिसंबर, 1996 में ही समाप्त कर दी गई थीं। उनसे उस अवधि के दस्तावेज़ मांगे गए थे, जिस दौरान अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी के साथ काम करने का दावा किया था।

अभिलेखों से यह भी प्रतीत होता है कि, मजदूरी का भुगतान वेतन-पत्रक में किया जा रहा था और इसके लिए कोई वेतन पर्ची जारी नहीं की जाती थी। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं से कोई वेतन पर्ची प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इसलिए, श्रम न्यायालय के निष्कर्षों में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

1.3 यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं ने सर्वोत्तम साक्ष्य को छिपा लिया है। वेतन पत्रक, भविष्य निधि अभिलेख व अन्य दस्तावेज उनके कब्जे में थे। उन्हें वैधानिक रूप से कुछ दस्तावेज़ संधारित रखने की आवश्यकता थी। यह सही हो सकता है कि विद्वान श्रम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला हो, लेकिन क्या ऐसा कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया है या नहीं, इस हेतु पूरे फैसले को पढ़ने पर विचार किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने, हमारी राय में, गलत राय दी है कि अवार्ड कानून की त्रुटि से ग्रस्त है और अन्यथा अनुमानों और अटकलों पर आधारित था।

1.4 औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 और यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के बीच अंतर हैं, जबकि औद्योगिक विवाद अधिनियम,

1947 में, श्रमिक को यह साबित करना होता है कि उसने 240 दिनों से अधिक काम किया है। उसकी समाप्ति की तारीख से पहले के 12 महीनों में, यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के मामले में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

2. उस अवधि को ध्यान में रखते हुए जिसके दौरान प्रतिवादी द्वारा सेवाएं प्रदान की गईं; प्रतिवादी ने मधुमक्खी पालन का संचालन बंद कर दिया था, और अपीलकर्ताओं की सेवाएं दिसंबर, 1996 में समाप्त कर दी गई थीं, हमारी राय है कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां अपीलकर्ताओं को फिर से सेवा में लिए जाने का निर्देश दिया जा सकता था। निर्विवाद रूप से, औद्योगिक न्यायालय विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, लेकिन ऐसे विवेक का प्रयोग न्यायपूर्ण ढंग से किया जाना आवश्यक है। इसके लिए प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक था; ऐसे मुद्दे के निर्धारण के लिए नियुक्ति की प्रकृति, नियुक्ति की अवधि, नौकरी की उपलब्धता आदि पर न्यायालय को विचार करना चाहिए । पुनः बहाल करने के निर्देश के स्थान पर मुआवजे की पर्याप्त राशि का भुगतान न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम रामसहाय और अन्य. [(2006) 11 एससीसी 684], मध्य प्रदेश प्रशासन बनाम त्रिभुवन [2007 (5) स्केल 397] और उत्तरांचल वन विकास निगम बनाम एमसी जोशी [2007 (3) स्केल 545] – पर आधारित ।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 1769/2008

2002 की रिट याचिका संख्या 54221 में इलाहबाद उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 24.03.2005 से ।

अपीलकर्ताओ की ओर से आर. आर. कुमार ओर भरत मंगल ।

प्रत्यर्थी की ओर से एल. एन. राव, प्रताप वेणुगोपाल, सुरेखा रमन, दिलीप पुलाकोट, अंशुल सिंह (मैसर्स के. जे. जोन एण्ड कम्पनी के लिए)

न्यायालय का फैसला एस. बी. सिन्हा, जे. द्वारा सुनाया गया ।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. प्रतिवादी एक शोध संस्थान है। यह बेहतर कृषि उत्पादन की सुविधा के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षणार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। प्रशिक्षुओं को निःशुल्क लॉज और बोर्डिंग भी प्रदान की जाती है। प्रतिवादी एक विश्वास विलेख के तहत अपना कार्य करता है। यह भारतीय किसान उर्वरक निगम की सहायक कंपनी है। इसका उद्देश्य परोपकार है. हालाँकि, यह कहा गया है कि प्रतिवादी संस्थान मुर्गी पालन, मछली पालन, गाय-आश्रय, डेयरी फार्मिंग, वृक्षारोपण, मधुमक्खी पालन आदि का कार्य भी करता है। ये कार्य विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से किए जाते हैं। उक्त प्रयोजन हेतु दैनिक वेतनभोगी नियुक्त किये जाते हैं। दिहाड़ी मजदूरों का रोजगार आवश्यकता आधारित है।

3. यहां अपीलकर्ताओं और विशेष रूप से उनमें से कुछ ने दावा किया कि वे लंबे समय से प्रतिवादी संस्थान के साथ काम कर रहे हैं। 28.12.1996 से उनकी सेवाएँ नहीं ली जा रही थीं। उन्होंने एक औद्योगिक विवाद खड़ा कर दिया. यूपी राज्य ने यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विवाद को पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, यूपी इलाहाबाद के समक्ष निर्णय के लिए भेजा।

4. विद्वान श्रम न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों ने अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये। प्रत्यर्थी से यह दिखाने के लिए कुछ दस्तावेज़ मांगे गए कि अपीलकर्ता लंबे समय से काम कर रहे हैं। प्रत्यर्थी ने केवल दिसंबर, 1996 के लिए उपस्थिति रजिस्टर

और वर्ष 1997 के लिए उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया। अपीलकर्ता श्रम न्यायालय के समक्ष स्वयं परीक्षित हुए। उन्होंने यह दिखाने के लिए विभिन्न दस्तावेज पेश किए कि भविष्य निधि भी उनके वेतन से काट ली जाती थी। उन्होंने वर्ष 1992-93 और 1994-95 के लिए भविष्य निधि रसीदें प्रस्तुत की।

प्रत्यर्थी की ओर से कमला पति दुबे नामक व्यक्ति परीक्षित हुआ। वह वर्ष 1988 में प्रतिवादी संस्था में शामिल हुए। उनके द्वारा एक बयान दिया गया कि अपीलकर्ता ने 240 दिनों तक काम नहीं किया था। हालाँकि, उन्होंने जिरह में स्वीकार किया कि मस्टर रोल (प्रदर्श ई-3) पर माली संत राम के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्रत्यर्थी संस्थान द्वारा मधुमक्खी पालन किया जाता था।

श्रम न्यायालय ने, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी को प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए बुलाए जाने के बावजूद ऐसा करने में विफल/उपेक्षा की, उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला। इसके अलावा, श्रम न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की ओर से पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी सबूतों पर भी विचार किया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने 240 दिनों से अधिक की अवधि के लिए काम किया है। चूंकि अपीलकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने की पूर्व शर्त, जैसा कि यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 6 एन के तहत परिकल्पित की गई थी, का अनुपालन नहीं किया गया था, सेवाओं की समाप्ति के उक्त आदेश को कानून में बुरा माना गया था। इसलिए अपीलकर्ताओं को दिनांक 12.4.2002 के अवार्ड द्वारा पिछले वेतन के 25 प्रतिशत के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया।

5. प्रत्यर्थी ने इससे व्यथित और असंतुष्ट होकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। आक्षेपित निर्णय के कारण, उच्च न्यायालय ने

अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए श्रम न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया कि सबूत का बोझ गलत तरीके से प्रतिवादी पर डाला गया था, यह माना गया;

> "अदालत ने लगातार यह माना है कि सबूत का भार उस कर्मचारी पर है जो राहत का दावा करता है। द्वितीयक साक्ष्य द्वारा अपने सबूत के बोझ को पूरा करने का अवसर दिए जाने के बावजूद, उन्होंने इसे पूरा नहीं किया। यह पक्षकारान के मध्य स्वीकृत तथ्य है कि कामगार दिहाड़ी मजदूर थे। नियुक्ति की प्रकृति ही महत्वपूर्ण है न कि भुगतान का तरीका।" इसके अलावा, यह देखा गया कि अवार्ड अनुमानों और अटकलों पर आधारित था।

6. इस कारण, अपीलकर्ता हमारे सामने हैं।

इस न्यायालय द्वारा एक सीमित नोटिस जारी किया गया था कि प्रत्यर्थी को अपीलकर्ताओं को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए क्यों नहीं कहा जाना चाहिए।

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री आरआर कुमार ने तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने एक गंभीर त्रुटि की है क्योंकि वह इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि विद्वान श्रम न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ताओं ने अपने प्रारंभिक सबूत के भार का निर्वहन कर लिया है और जैसा कि उत्तरदाताओं को प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा जाने के बावजूद, वे ऐसा करने में विफल रहे, इसलिए सबूत का दायित्व उन पर डाल दिया गया। यह आग्रह किया गया कि यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 6-एन के प्रावधान औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ की विषय वस्तु समान नहीं हैं, क्योंकि पूर्व मामले में, यह आवश्यक नहीं था कथित समाप्ति की तारीख से पहले 12 कैलेंडर महीनों में 240 दिन काम करें।

यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय पक्षकारान की ओर से पेश किए गए सबूतों पर विचार नहीं कर सका और उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल किया। इस और भी ध्यान दिलवाया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा, भविष्य निधि की रसीदें जिन्हें प्रदर्श W-1 से 24 तक प्रदर्शित करवाया गया था, का खंडन भी नहीं किया गया है।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संस्थान की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एलएन राव ने आग्रह किया कि श्रम न्यायालय ने सबूत का पूरा बोझ प्रत्यर्थी पर गलत तरीके से डाल दिया है, यह साबित करने का भार, कि अपीलार्थीगण ने एक वर्ष में 240 से अधिक दिन कार्य पर थे, अपीलकर्ताओं पर था और इस प्रकार, रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह निवेदन किया गया कि, किसी भी स्तर पर श्रम न्यायालय ने प्रत्यर्थी के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला है और अपीलकर्ता को द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी है, उच्च न्यायालय के फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

9. निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ताओं की सेवाएं 28.12.1996 को समाप्त कर दी गई थीं। संदर्भ वर्ष 1998 में दिया गया था। ईडब्ल्यू-1 के साक्ष्य से यह भी प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने मधुमक्खी पालन का काम करना बंद कर दिया था।

10. यद्यपि प्रत्यर्थी द्वारा एक तर्क उठाया गया था कि वह यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (के) के अर्थ के तहत एक "उद्योग" नहीं है, लेकिन उक्त बिंदु को उच्च न्यायालय के समक्ष छोड़ दिया गया है, हमें उक्त बिन्दु को देखने की आवश्यकता नहीं है।

11. यह प्रश्न कि सबूत का भार नियोक्ता पर था या काम करने वाले पर, अब अछूता मामला नहीं रह गया है। यह काम करने वाले पर होगा कि वह साबित करे कि

उसने एक वर्ष में दो सौ चालीस दिन काम किया है। हालाँकि, जहाँ दोनों पक्षों ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, अधिकांश मामलों में, प्रश्न अकादमिक होगा।

डीजीएम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम इलियास अब्दुलरहमान [(2005) 2 एससीसी 183], में यह अभिनिर्धारित किया गया था;

> "8. कामगार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से पता चलता है कि वह रोजगार की तलाश में विभिन्न स्थानों पर गया था और जब भी अपीलकर्ता निगम के विभिन्न विभागों में कोई अस्थायी रोजगार उपलब्ध हुआ, चाहे वह क्षेत्र का काम हो या रसायन विज्ञान के विभाग का काम हो, उन्होंने रोजगार स्वीकार कर लिया और इन विभागों में मात्र एक स्थान पर नहीं बल्कि बड़ौदा और मेहसाणा जैसे विभिन्न स्थानों पर काम किया। यह रिकॉर्ड में आया है कि प्रबंधन ने अपीलकर्ता को स्थायी नौकरी में समायोजित करने का प्रयास किया था, लेकिन योग्यता की कमी के कारण ऐसा नहीं कर सका। । ऐसी परिस्थितियों में हम सोचते हैं कि औद्योगिक न्यायाधिकरण का इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित था कि, अधिनियम की धारा 25-एफ के उददेश्य के अनुसार, प्रतिवादी द्वारा टूटी अवधि में किए गए काम के दिनों की संख्या को निरंतर रोजगार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड के मामले में माना गया है। हम जानते हैं कि इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड में इस न्यायालय का निर्णय धारा 25- जी के संदर्भ में दिया गया था फिर भी हमारी राय है कि एक शीर्ष निगम द्वारा नियंत्रित विभिन्न विभागों में काम के दिनों की गिनती से संबंधित विधि, इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड के

फैसले में निर्धारित सिद्धांतों द्वारा शासित होगी और औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा निर्देश (रैफरेस)को खारिज करना उचित था।"

यह भी देखें - रेंज वन अधिकारी बनाम एसटी हदीमानी [(2002) 3 एससीसी 25, पैरा 3), आरएम येलत्ती बनाम सहायक कार्यकारी अभियंता [(2006) 1 एससीसी 106], महाराष्ट्र राज्य बनाम दत्तात्रेय दिगंबर बिराजदार [2007 10 स्केल 442, पैरा 6], गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड बनाम जयवीर सिंह [2007 11 स्केल 409, पैरा 12]

12. हालाँकि एक समय में, सबूत का बोझ नियोक्ता पर डाला जाता था, परन्तु हाल के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाना चाहिए कि सबूत का बोझ काम करने वाले पर है, यह दिखाने के लिए कि उसने एक साल में 240 दिन पूर्ण किये हैं ।

13. हालाँकि, हम औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 और यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के बीच अंतर से अनजान नहीं हैं, जबकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में, श्रमिक को यह साबित करना होता है कि उसने 240 दिनों से अधिक काम किया है। उसकी समाप्ति की तारीख से पहले के 12 महीनों में, यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के मामले में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

14. अपीलकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए कुछ दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड प्रस्तुत किये हैं कि वे कम से कम दो वर्षों से काम कर रहे हैं। यहां तक कि उनके वेतन से भविष्य निधि भी काट ली गई। प्रत्येक अपीलकर्ता ने श्रम न्यायालय के समक्ष स्वयं को परीक्षित करवाया है । उन्होंने जरूरी दस्तावेज मंगाए थे। श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ पूरी तरह से अप्रासंगिक थे, क्योंकि श्रमिक की सेवाएँ

दिसंबर, 1996 में ही समाप्त कर दी गई थीं। उनसे उस अवधि के दस्तावेज़ मांगे गए थे, जिस दौरान अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी के साथ काम करने का दावा किया था।

15. अभिलेखों से यह भी प्रतीत होता है कि, मजदूरी का भुगतान वेतन-पत्रक में किया जा रहा था और इसके लिए कोई वेतन पर्ची जारी नहीं की जाती थी। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं से कोई वेतन पर्ची प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इसलिए, श्रम न्यायालय के निष्कर्षों में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

16. यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं ने सर्वोत्तम साक्ष्य को छिपा लिया है। वेतन पत्रक, भविष्य निधि अभिलेख व अन्य दस्तावेज उनके कब्जे में थे। उन्हें वैधानिक रूप से कुछ दस्तावेज़ संधारित रखने की आवश्यकता थी। यह सही हो सकता है कि विद्वान श्रम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला हो, लेकिन क्या ऐसा कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया है या नहीं, इस हेतु पूरे फैसले को पढ़ने पर विचार किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने, हमारी राय में, गलत राय दी है कि अवार्ड कानून की त्रुटि से ग्रस्त है और अन्यथा अनुमानों और अटकलों पर आधारित था।

17. हालाँकि, यह प्रश्न हमारे समक्ष विचारणीय है कि क्या अपीलकर्ताओं को सेवा में पुनः बहाल करने का अवार्ड, श्रम न्यायालय द्वारा दिया जाना उचित था।

18. उस अवधि को ध्यान में रखते हुए जिसके दौरान प्रतिवादी द्वारा सेवाएं प्रदान की गईं; प्रतिवादी ने मधुमक्खी पालन का संचालन बंद कर दिया था, और अपीलकर्ताओं की सेवाएं दिसंबर, 1996 में समाप्त कर दी गई थीं, हमारी राय है कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां अपीलकर्ताओं को फिर से सेवा में लिए जाने का निर्देश दिया जा सकता था।

19. निर्विवाद रूप से, औद्योगिक न्यायालय विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, लेकिन ऐसे विवेक का प्रयोग न्यायपूर्ण ढंग से किया जाना आवश्यक है। इसके लिए प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक था; ऐसे मुद्दे के निर्धारण के लिए नियुक्ति की प्रकृति, नियुक्ति की अवधि, नौकरी की उपलब्धता आदि पर न्यायालय को विचार करना चाहिए।

20. इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में निर्णयों में कहा कि इस प्रकृति के मामलों में सेवा में पुनः बहाल करने के निर्देश के स्थान पर मुआवजे की पर्याप्त राशि का भुगतान न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। { देखें जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम रामसहाय और अन्य. [(2006) 11 एससीसी 684], मध्य प्रदेश प्रशासन बनाम त्रिभुवन [2007 (5) स्केल 397] और उत्तरांचल वन विकास निगम बनाम एमसी जोशी [2007 (3) स्केल 545]। }

21. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि प्रत्येक अपीलकर्ता को 1,00,000/- रुपये की राशि के भुगतान से न्याय का लक्ष्य पूरा होगा । यह अपील उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार।

अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पल्लवी शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।